



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-117/2026/1136/22-2-2025-17(939)/2025
लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, संतकबीरनगर में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदी फूलपती (बन्दी सं0-55/2022) पत्नी श्री सुन्दर केवट, सांगठ, थाना-बखिरा, जनपद-संतकबीर नगर का निवासिनी है, महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-04/2007 में भा0द0वि0 की धारा-304/34, 323/34, 504, 325/34, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश सन्तकबीर नगर के दण्डादेश दिनांक 28.04.2022 द्वारा आजीवन 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय में महिला बंदी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 07.01.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष 09 माह 26 दिन तथा 03 वर्ष 02 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, अच्छा जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-117/2026/1136(1)/22-2-2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीरनगर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीरनगर।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।